



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 112-2020/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 7, 2020 (SRAVANA 16, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अगस्त, 2020

संख्या 69/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 के साथ पठित धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/जीएसटी-2, दिनांक प्रथम जनवरी, 2019 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/जीएसटी-2, दिनांक प्रथम जनवरी, 2019 में, तृतीय परंतुक में,—

- (i) अंत में विद्यमान “।” के स्थान पर, “:” चिह्न किया जाएगा; तथा
- (ii) निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो उक्त परंतुक की निर्दिष्ट सारणी के खाना (2) में वर्णित किए गए हैं, जो उक्त सारणी के खाना (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त सारणी के खाना (4) में उल्लिखित शर्त के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, किंतु उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के तीसवें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की कुल राशि, जो दो सौ पचास रुपये से अधिक है, को अधित्यक्त किया जाएगा और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाएगा जहाँ उक्त विवरणी में कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है:

परंतु यह और कि उन करदाताओं के लिए जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पाँच करोड़ रुपये से अधिक है, जो नियत तिथि तक मई, 2020 से जुलाई, 2020 के मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, किंतु उक्त विवरणी को सितंबर, 2020 के तीसवें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की कुल राशि, जो दो सौ पचास रुपये से अधिक है, को अधित्यक्त किया जाएगा और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूरी तरह से अधित्यक्त किया जाएगा, जहाँ उक्त विवरणी में कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है।”।

2. यह अधिसूचना जून, 2020 के पच्चीसवें दिन से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th August, 2020

No. 69/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), read with section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification no. 12/GST-2, dated the 1st January, 2019, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification no. 12/GST-2, dated the 1st January, 2019, after the third proviso,

- (i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted; and
- (ii) the following provisos shall be added, namely:-

“Provided further that for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table of the above proviso, who fail to furnish the returns for the tax period as specified in column (3) of the said Table, according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, but furnishes the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil:

Provided further that for the taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year, who fail to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of May, 2020 to July, 2020, by the due date but furnish the said return till the 30th day of September, 2020, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived for those taxpayers where the total amount of state tax payable in the said return is nil.”

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 25th day of June, 2020.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.